संख्या-792/2017/1312/22-2-2017-17(36)/2009

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 सितम्बर, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय बाजपेयी पुत्र श्री नवल किशोर वाजपेयी निवासी जनपद-कानपुर नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16050-185/प्रोबेशन-3 (एम-02-05-2017) दिनांक-18-05-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय बाजपेयी पुत्र श्री नवल किशोर वाजपेयी निवासी ग्राम-2ए/363ए, आजाद नगर, थाना-नवाव नगर, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 10-12-2001 को अपनी मां कमला देवी, पुत्री मानसी की गला दबाकर एवं पत्नी कविता की लोहे की राड से वार कर निर्दयतापूर्वक हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-481/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-17, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 05.12.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.05.2017 तक 14 वर्ष 10 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 03 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण असन्तोषजनक (अत्यंत खराब) है। जिला मजिट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी अपराध किये जाने की प्रबल संभावना, मानसिक प्रवृत्ति अपराधिक होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 10-12-2001 को अपनी मां कमला देवी, पुत्री मानसी की गला दबाकर एवं पत्नी कविता की लोहे की राड से वार कर 03 लोगों की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 51 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रूप से स्वस्थ्य है। बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट ने 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता एवं पुलिस अधीक्षक की आख्यानुसार अशक्त न होने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विजय बाजपेयी पुत्र श्री नवल किशोर वाजपेयी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी विजय वाजपेयी (बन्दी संख्या-47468) पुत्र श्री नवल कशोर वाजपेयी निवासी जनपद-कानपुर नगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-792/2017/1312(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-792/2017/1312/22-2-2017-17(36)/2009

दिनांक 28 सितम्बर, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय बाजपेयी पुत्र श्री नवल किशोर वाजपेयी निवासी ग्राम-2ए/363ए, आजाद नगर, थाना-नवाब नगर, जनपद-कानुपर नगर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 10-12-2001 को अपनी मां कमला देवी, पुत्री मानसी की गला दबाकर एवं पत्नी कविता की लोहे की राड से वार कर निर्दयतापूर्वक हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-481/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-17, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 05.12.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.05.2017 तक 14 वर्ष 10 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 03 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण असन्तोषजनक (अत्यंत खराब) है। जिला मजिट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी अपराध किये जाने की प्रबल संभावना, मानसिक प्रवृत्ति अपराधिक होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 10-12-2001 को अपनी मां कमला देवी, पुत्री मानसी की गला दबाकर एवं पत्नी कविता की लोहे की राड से वार कर 03 लोगों की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 51 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है। बन्दी के पुन: अपराध करने की अशक्त न होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट ने 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता एवं पुलिस अधीक्षक की आख्यानुसार अशक्त न होने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विजय बाजपेयी पुत्र श्री नवल किशोर वाजपेयी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in